

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 31, गुरुवार, १७८६ 1948- मई 21, 2026 Vaisakha 31, Thursday, Saka 1948- May 21, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (गुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 05, 2025

संख्या प.9(83)राज-1/2025-27402-Part:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंसा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि जोधपुर जिले की तहसील बावडी व तिंवरी के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है:-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी K M	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है.में)
			ग्राम का नाम	क्षेत्र फल (है. में)	जन सं ख्या 2011	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन सं ख्या 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जोधपुर / तिंवरी	बड़ला बासनी / तिंवरी	बड़ला बासनी LG Code 84640	2153 .062 4	3476	कृष्णनगर बड़ला Krishan Nagar Badla	958.3 835	1793	1.9	1194.6 789
2		घेवड़ा / तिंवरी	घेवड़ा LG Code 84642	1148 .988 4	3117	श्री बाबा	93.39 38	463	1.2	915.67 04

रामदेव नगर

Shri Baba

						Ramdev Nagar				
3						श्री जसनाथ नगर Shri Jasnath Nagar	139.9 242	201	2.5	
4		नांदिया कलां / बावडी	नांदिया कलां LG Code 84684	2404 .933 5	1863	जय भवानी नगर Jai Bhawani Nagar	190.2 602	227	1.5	2214.6 733
5	जोधपुर / बावडी	जैतिया वास / बावडी	जैतिया वास LG Code 84681	1093 .690 1	1346	मल्लीनाथ नगर Mallinath Nagar	280.3 778	329	3	813.31 23
6		उमादेसर / बावडी	उमादेसर LG Code 84685	1148 .071 7	1265	नागाणा नगर Nagana Nagar	143.3 656	371	3	1004.7 061

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला कलक्टर, जोधपुर** को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्राम के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।